व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि – वर्मी-कम्पोस्ट

भगवती माता – स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजी नाम	: :	भगवती माता
वीएफडीएस नाम	: :	कंधार-सुग्गा
वन परिक्षेत्र	: :	सराहन
वन मंडल	: :	रामपुर

इसके तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

(जायका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ
1	पृष्ठभूमि	3
2	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गांव का भौगोलिक विवरण	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6-7
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7-8
9	स्वोट अनालिसिस	8-9
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	9-11
12	आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष	11-12
13	निधि की आवश्यकता	12
14	निधि के स्रोत	12-13
15	बैंक ऋण चुकौती	13
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
17	निगरानी विधि	14
18	समूह सदस्य फ़ोटो	14
19	ग्राम वन विकास समिति का प्रस्ताव	15
20	स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव	16

1. पृष्ठभूमि

सरल उत्पादन तकनीक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग देश में मजबूती से पैर जमा रही है। उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, बड़ी संख्या में वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

वर्मीकंपोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो इसके स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

वर्मीकम्पोस्ट खाद

केंचुओं के पालन/ उपयोग के माध्यम से खाद का उत्पादन वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचाकर बाहर निकाल देते हैं जिसे वर्मी कम्पोस्टिंग या वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए खाद बनाने की सबसे सरल और लागत प्रभावी विधियों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो लेकिन छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त हो। साइट जल संसाधन के नज़दीक भी होनी चाहिए

वर्मीकंपोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मीकंपोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

2.एसएचजी/ सीआईजी का विवरण

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	भगवती माता
वीएफडीएस	::	कंधार- सुग्गा
वन परिक्षेत्र	::	सराहन
वन मंडल	::	रामपुर
गाँव	::	सुग्गा
ब्लॉक	::	फाँचा
ज़िला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10
गठन की तिथि	::	जनवरी,2021
बैंक खाता सं.	::	15430110081228
बैंक विवरण	::	यूको बैंक रामपुर
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	50 रुपये प्रति सदस्य
कुल बचत		1000
कुल अंतर-ऋण		
नकद क्रेडिट सीमा		
पुनर्भुगतान स्थिति		

3.लाभार्थियों का विवरण:

क्रम.	नाम श्रीमती/कुमारी	पिता/ पति का नाम	आयु	वर्ग	आय स्रोत	पता
1	शशि बाला	पाल सिंह	37	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
2	अनीता देवी	गंगा राम	42	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3	अंगूरी देवी	टीकम सिंह	47	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
4	कृष्णा देवी	सोहन लाल	43	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
5	सुरमा देवी	टेक सिंह	45	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
6	कौशल्या देवी	ध्यान सिंह	27	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
7	अंकिता देवी	प्रवीण	25	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
8	सरोजना देवी	सादु राम	50	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
9	मीना कुमारी	विपन	30	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
10	पुष्पा देवी	बाला नंद	45	सामान्य	कृषि	ग्राम – सुग्गा, डाकघर – सरपारा तहसील – रामपुर जिला – शिमला (हिमाचल प्रदेश)

4.गांव का भौगोलिक विवरण

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	158 कि०मी०
4.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	28 कि०मी०
4.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	झाकड़ी,14 कि०मी०
4.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी		रामपुर, 28 कि०मी०
4.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी		रामपुर, 28 कि०मी०
4.6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा /विपणन किया जाएगा	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग एवं झाकड़ी, रामपुर

5.आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	::	वर्मी-कम्पोस्ट खाद
5.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है।
5.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

6.उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

कदम		विवरण
चरण-1	::	प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।
चरण-2	::	जैविक कचरे को बीस दिनों तक पूर्व-पाचन के लिए मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चरण-3	::	केंचुआ बेड की तैयारी। वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी से कीड़े मिट्टी में जा सकेंगे और पानी देते समय सभी घुलनशील पोषक

कदम		विवरण
		तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाएँगे।
चरण-4	: :	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से खाद बनी सामग्री को अलग करने के लिए खाद बनी सामग्री को छानना। आंशिक रूप से खाद बनी सामग्री को फिर से वर्मी-कम्पोस्ट बेड में डाला जाएगा।
चरण-5	: :	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर भंडारित करें।

7.उत्पादन योजना का विवरण

7.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	: :	90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र)
7.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (संख्या)	: :	1
7.3	कच्चे माल का स्रोत	: :	घर से और अपने खेतों से
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	: :	खुला बाज़ार
7.5	कच्चा माल - प्रति चक्र आवश्यक मात्रा (कि०ग्रा०) प्रति सदस्य	: :	1800 किलोग्राम प्रति चक्र
7.6	प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन (कि०ग्रा०) प्रति सदस्य	: :	900 किलोग्राम प्रति चक्र

8.विपणन/बिक्री का विवरण

8.1	संभावित बाज़ार स्थान	: :	हिमाचल प्रदेश वन विभाग. स्थानीय बाजार , खुद के खेत
8.2	इकाई से दूरी	: :	0.3 कि०मी०
8.3	बाज़ार/स्थानों में उत्पाद की मांग	: :	वन विभाग अपनी नर्सरी के लिए बड़ी मात्रा में वर्मी-कम्पोस्ट खरीद रहा है
8.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	: :	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद में सहायता करेगा।

8.5	उत्पाद की विपणन रणनीति		भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी खोज करेंगे।
8.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
8.7	उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

9. स्वोट अनालिसिस

❖ **ताकत**

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 मवेशी हैं
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक अपशिष्ट की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है।
- उनके खेतों पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है

❖ **कमजोरी**

- विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ **अवसर**

- जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग बढ़ रही है
- अपने खेत में वर्मी-कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगा।
- रसोई से निकलने वाले घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
- एचपी फॉरेस्ट के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना

❖ **खतरे / जोखिम**

- अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र टूटने की संभावना
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

➔ **उत्पादन** – कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा

➔ **गुणवत्ता आश्वासन** – सामूहिक रूप से

➔ **सफाई और पैकेजिंग** – सामूहिक रूप से

➔ **विपणन** – सामूहिक रूप से

➔ **इकाई की निगरानी** – सामूहिक रूप से

11. अर्थशास्त्र का विवरण

क्र. सं.	विवरण	इकाइ	मात्रा/संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
क.	**पूंजीगत लागत**								
क1	**गड्ढे और शेड का निर्माण**								
1	शेड सहित निर्माण एवं श्रम लागत (आकार 10 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा)	प्रति सदस्य	10	6000	60000	0	0	0	0
2	लोहे के एंगल से कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	10	4000	40000				
	उप-योग (क1)				**100000**	**0**	**0**	**0**	**0**
क2	**यंत्रावली और उपकरण**								
3	औज़ार, उपकरण, तराजू आदि।	प्रति सदस्य	10	2000	20000	0	0	0	0
	उप-योग (क2)				**20000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल पूंजीगत लागत (क1+क2)				**120000**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख.	**आवर्ती लागत**								
4	बीज केंचुआ	प्रति किलोग्राम	10	500	5000	0	0	0	0
5	घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	80	900	72000	75600	79380	83349	87516
6	श्रम लागत	प्रति टन	40	700	28000	29400	30870	32414	34034
7	पैकिंग सामग्री	संख्या	5000	2	10000	10500	11025	11576	12155
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	40	150	6000	6300	6615	6946	7293
ग.	**अन्य शुल्क**								

9	बीमा	लगभग			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		4 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				**124000**	**124800**	**130890**	**137285**	**143998**
	कुल लागत - पूंजी और आवर्ती				**244000**	**124800**	**130890**	**137285**	**143998**
घ.	**वर्मीकम्पोस्टिंग से आय**								
11	**वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री**	टन	40	**6000**	**240000**	**252000**	**264600**	**277830**	**291722**
12	**केंचुओं की बिक्री**					**7500**	**15000**	**15000**	**15000**
13	**कुल मुनाफा**				**240000**	**259500**	**279600**	**292830**	**306722**
14	शुद्ध रिटर्न (**घ-ग**)				-4000	134700	148710	155545	162724

नोट – चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उनके स्थान पर पहले से ही स्लरी/गोबर/अपशिष्ट उपलब्ध है और इन सामग्रियों की खरीद उनके द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, स्लरी/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

आर्थिक विश्लेषण

विवरण	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**	कुल
पूंजीगत लागत	**120000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
आवर्ती लागत	124000	124800	130890	137285	143998	
कुल लागत	244000	124800	130890	137285	143998	780973
कुल लाभ	240000	259500	279600	292830	306722	1378652
शुद्ध लाभ	**-4000**	**134700**	**148710**	**155546**	**162724**	**597679**
लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**780973**					
लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**1378652**					
लाभ लागत अनुपात	**1.77**					

शुद्ध लाभ का वितरण – उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

12. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार 10X4X2 फीट निर्धारित किया गया है।
- वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.2 रुपये प्रति किलोग्राम आती है
- वर्मी-कम्पोस्ट (संरक्षित पक्ष) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलोग्राम है
- शुद्ध लाभ 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 15 सदस्यों द्वारा 40 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन होगा।
- केंचुए की कीमत 500.00 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है
- दूसरे वर्ष के बाद से, बिक्री के लिए अधिशेष मिट्टी का काम होगा (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान बढ़ जाएगा)
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

13. निधि की आवश्यकता:

क्रम सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	120000	90,000	30,000
2	कुल आवर्ती लागत	124000	0	124000
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	**294000**	**140000**	**154000**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत - चूंकि समूह की सभी सदस्य महिलाएं हैं, इसलिए परियोजना के तहत कवर की जाने वाली पूंजीगत लागत कुल पूंजी लागत का 75% होगी** 1
- **आवर्ती लागत** - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन** - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

14.निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% गड्ढे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा) • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	गड्ढे के निर्माण/गड्ढे के लिए सामग्री की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 25 % स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा, इसमें शेड/शेड निर्माण की लागत शामिल है। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

15. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए का परिचय (सामान्य)
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक ऋण लिंकेज एवं उद्यम विकास
- एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

17. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

समूह सदस्यों की तस्वीरें –

श्रीमती शशि बाला देवी

(अध्यक्ष)

श्रीमती अनीता

(सचिव)

श्रीमती अंगूरी देवी

(कोषाध्यक्ष)

श्रीमती सरोजना

(सदस्य)

श्रीमती सूरमा देवी

(सदस्य)

श्रीमती कृष्णा देवी

(सदस्य)

श्रीमती कौशल्या देवी

(सदस्य)

श्रीमती मीना देवी

(सदस्य)

श्रीमती पुष्पा देवी

(सदस्य)

श्रीमती अंकिता देवी

(सदस्य)

Resolution-cum-Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the Self Help Group.....Bhagvati Mata.....held on .....Oct. 2021.....at .....Kandhun.....that our Self Help Group will undertake the Vermi Compost.....as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted).

प्रधान
भगवती माता स्वयं सहायता समूह
गठन तिथि 5/10/13, आचार चटनी
Signature of Group Pradhan

सचिव Amita
भगवती माता स्वयं सहायता समूह
गठन तिथि 5/10/13, आचार चटनी
Signature of Group Secretary

Resolution-cum-Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the Self Help Group.....Bhagvati Mata.....held on .....Oct. 2021.....at .....Kandhun.....that our Self Help Group will undertake the Vermi Compost as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted).

प्रधान
भगवती माता स्वयं सहायता समूह
गठन तिथि 5/10/13, आचार चटनी
Signature of Group Pradhan

सचिव Amita
भगवती माता स्वयं सहायता समूह
गठन तिथि 5/10/13, आचार चटनी
Signature of Group Secretary